संख्याः 2016 /33–3–2020–10 जी.आई./2015 टी.सी.

प्रेषक,

**मनोज कुमार सिंह,**
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग/वित्त विभाग/ राजस्व विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/शिक्षा विभाग/समाज कल्याण/बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग/कृषि विभाग/ दिव्यांग कल्याण विभाग/दुग्ध विकास/राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/सामाजिक वानिकी/लघु सिचाई/ लघु एवं मध्यम उद्योग/भूमि विकास एवं अन्य।**

2. **समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।**

**पंचायती राज अनुभाग–3** **लखनऊ** **दिनांक 08 सितम्बर, 2020**

**विषयः– 02 अक्टूबर, 2020 से 31 जनवरी, 2021 के मध्य सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना/वार्षिक कार्ययोजना (जी.पी.डी.पी.) तैयार किए जाने के सम्बंध में।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0–डी.ओ.नं.एम–11015/159/2019–सी.बी.,दिनांक18 अगस्त, 2020 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर दिनांक 02 अक्टूबर, 2020 से 31 जनवरी, 2021 के मध्य **"जन योजना अभियान"** के आयोजन तथा**वित्तीय वर्ष 2021–22** की नियोजन प्रकिया प्रारम्भ किए जाने की अपेक्षा करते हुए पंचायतों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के दृष्टिगत 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों पर कार्य किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए है।

**2–** उक्त हेतु पंचायत स्तर पर कार्यरत समस्त विभागों के ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता की उपस्थिति दिनांक 02 अक्टूबर, 2020 से 31 जनवरी, 2021 के मध्य होने वाली ग्राम सभा की बैठक में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित् की जानी आवश्यक है, ताकि ग्राम पंचायतों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं का उचित आंकलन किया जा सके। पंचायतों के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत का मूल्यांकन **'मिशन अंत्योदय'** के अन्तर्गत की गई प्रक्रिया के माध्यम से सितम्बर, 2020 में पूर्ण किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत कीं संरचनात्मक, आर्थिक एवं मानव विकास के सूचकांकों के आधार पर रैकिंग की जाएगी ताकि ग्राम सभा की बैठक में विकास में आ रही कमियों को दूर करने के सम्बंध में प्रभावी कार्यवाही की जा सके। इस प्रकार से आवश्यक सुझावों/ आवश्यकताओं को वार्षिक कार्ययोजना का भाग बनाते हुए ग्राम सभा में अनुमोदन के पश्चात् **ई–ग्राम स्वराज पोर्टल** पर अपलोड किया जाएगा। जी.पी.डी.पी. नियोजन के अनुश्रवण हेतु पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विशेष पोर्टल **www.gpdp.nic.in** भी विकसित किया गया है।

**3–** इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 02 अक्टूबर, 2020 से 31 जनवरी, 2021 के मध्य वर्ष 2021–22 की वार्षिक कार्ययोजना/जी.पी.डी.पी. तैयार

कराकर निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार निम्नलिखित एजेण्डा बिन्दुओं का कार्यान्वयन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित् किया जायः–

| क्र0 | एजेण्डा | समयाविधि |
|---|---|---|
| 1. | ग्राम पंचायत विकास योजना (वर्ष 2021–22) हेतु प्रचार–प्रसार एवं जन–जागरूकता अभियान के माध्यम से वातावरण निर्माण। | **15 सितम्बर, 2020 से प्रारम्भ** |
| 2. | नोडल अधिकारियों की (राज्य/जनपद/विकास खण्ड पर) नियुक्ति तथा सभी नोडल अधिकारियों का वेब पोर्टल पर पंजीकरण किया जाना। | **दिनांक 15 सितम्बर, 2020 तक** |
| 3. | ग्राम्य विकास विभाग द्वारा 'मिशन अंत्योदय' की प्रकिया के अनुसार ग्राम पंचायतों का सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाना एवं डाटा अपलोडिंग का कार्य। | **30 सितम्बर, 2020 तक** |
| 4. | जनपद स्तर से ग्राम सभा के आयोजन एवं उसमें अधिकारी/कर्मियों की उपस्थिति की समय–सारिणी निर्गत करना तथा जी.पी.डी.पी. पोर्टल पर ग्राम सभा की समय–सारिणी अपलोड किया जाना। | **दिनांक 25 सितम्बर, 2020 तक** |
| 5. | **5.1.** वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की दो बैठकों का अनिवार्य रूप से आयोजन। | **दिनांक 02 अक्टूबर, 2020 से 31 जनवरी, 2021 तक** |
| | **5.2.** ग्राम सभा की प्रथम बैठक में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सर्वेक्षण रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण, वित्तीय एवं अन्य उपलब्ध संसाधनों का विवरण दिया जाना तथा आवश्यक आवश्यकताओं का निर्धारण / चिन्हीकरण। | |
| | **5.3.**ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधन के अनुसार आवश्यकताओं को सम्मिलित करते हुए ड्राफ्ट कार्ययोजना तैयार करना एवं उसका ग्राम सभा की द्वितीय बैठक में अनुमोदन कराया जाना। | |
| | **5.4.** ग्राम सभा की जियो–टैग फोटो अपलोड किया जाना। | **ग्राम सभा की बैठक आयोजन के तुरंत बाद।** |
| 6 | ग्राम पंचायतों के सार्वजनिक स्थल पर वार्षिक कार्ययोजना/जी.पी.डी.पी. एवं अन्य योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु सूचना–पट्टिका/बोर्ड लगाया जाना। | **दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक** |
| 7 | अंतिम रूप से अनुमोदित कार्ययोजना को प्लान–प्लस पर अपलोड किया जाना। | **31 जनवरी, 2021 तक** |

- वर्तमान में कोविड–19 महामारी के कारण आवश्यक है कि जन योजना अभियान वर्ष 2020–21 में जी.पी.डी.पी. निर्माण संबंधी तैयारी हेतु उचित व्यवहार का पूर्ण पालन किया जाये। ग्राम सभा सदस्य ग्राम सभा स्थल पर मास्क की सहायता से चेहरे को ढ़क कर रखें तथा "दो गज़ दूरी" बना कर रखे। ग्राम सभा के सदस्यों के बीच परामर्श कर बैठक को छोटे समूहों में आयोजित किया जा सकता है, जिसके क्रम में

वार्ड सभा के अतिरिक्त बाल सभाओं तथा महिला सभाओं का आयोजन किया जाये जिससे बच्चों एवं महिलाओं की आवश्यकताओं/समस्याओं को भी कार्ययोजना में सम्मिलित किया जा सके। यह नियोजन प्रक्रिया में लोगों की व्यापक भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। विभिन्न बैठकों में तैयार आवश्यकताओं/समस्याओं की सूची को संकलित कर ग्राम सभा की औपचारिक बैठक में प्रस्तुत किया जाये जिससे जी.पी.डी. पी. को अंतिम रूप दिया जा सके। ग्राम पंचायतें स्वयं के लिये संकल्प और लक्ष्य अपनायें विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी विषयों पर काम करने के लिये।

- उक्त रूप से निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं के अनुसार ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण को एक अभियान के रूप में चलाते हुए ग्राम सभा के पूर्व, ग्राम सभा की अवधि में एवं ग्राम सभा के पश्चात् की जाने वाली गतिविधियों को **संलग्नक–1** पर उपलब्ध सूची के अनुसार कराया जाएगा।
- गतिविधियों के ससमय क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति एवं खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित विकास खण्ड स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति उत्तरदायी होगी।
- प्रत्येक विभाग कार्यक्रम अवधि में अपने विभाग से एक नोडल अधिकारी को कार्यक्रम के पर्यवेक्षण हेतु नामित करेगा, जिसका पंजीकरण www.gpdp.nic.in पर भारत सरकार द्वारा किया जाएगा, जो कि अपने विभाग से सम्बन्धित गतिविधियों के अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी होगा।
- ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना/ वार्षिक कार्ययोजना के तैयार किए जाने की अवधि में रिपोर्टिंग एवं ग्राम सभा के आयोजन हेतु ग्राम पंचायत 15वें वित्त आयोग के प्रशासनिक एवं तकनीकी मद से अधिकतम धनराशि रू0 2500/–तक व्यय कर सकती है। उक्त कार्य हेतु सीमित अवधि के लिए मानव संसाधन की सेवाएं ली जा सकती है, जोकि ग्राम सभा के आयोजन, रिपोर्टिंग एवं योजना निर्माण में ग्राम पंचायत की सहायता करेगा एवं www.gpdp.nic.in पर सूचनाएं ससमय अपलोड करेगा। उचित व्यक्ति का चयन– ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्यो/स्वयं सहायता समूह महिलाओं/ग्राम रोजगार सेवक अथवा अन्य सक्रिय स्वयंसेवी व्यक्ति में से किया जा सकता है, चूंकि इस प्रक्रिया में जन–जागरूकता, ग्राम सभाओं का आयोजन एवं रिपोर्टिंग का कार्य ऑनलाइन किया जाना है अतः इस प्रक्रिया में लगाए व्यक्ति शिक्षित, कम्प्यूटर एवं स्मार्ट फोन को संचालित करने में सक्षम हो, इसका विशेष ध्यान दिया जाए।
- मिशन अंत्योदय के एप पर आधारित सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण में आने वाले व्यय का वहन मनरेगा एवं दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना–आजीविका मिशन की प्रशासनिक मद की धनराशि से किया जाएगा।
- इस प्रकार से ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप ही वर्क–आई. डी. विकसित करते हुए ही कार्य कराए जाए, बिना वर्क आई.डी. निर्गत कराए गए कार्य वित्तीय अनिमियतता की श्रेणी में आएगें।
- ग्राम पंचायतों द्वारा यह अवश्य ध्यान रखा जाए कि वार्षिक कार्ययोजना की कुल अनुमानित लागत, वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली अनुमानित धनराशि से 10 से 15 प्रतिशत से अधिक की न हो।

4— अतः उक्तानुसार ग्राम पंचायत विकास योजना को जन अभियान बनाते हुए दिनांक 02 अक्टूबर, 2020 से 31 जनवरी, 2021 के मध्य जनपदों में ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की कार्यवाही पूर्ण की जाए।

**संलग्नकः यथोक्त।**

भवदीय,

3.9.20

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

**संख्या व दिनांकः— तदैव।**

**प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—**

1. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टाफ आफिसर, कृषि अत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
5. निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र.।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.।
7. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं.), उ.प्र.।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ.प्र.।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

Amit Sri.

4— अतः उक्तानुसार ग्राम पंचायत विकास योजना को जन अभियान बनाते हुए दिनांक 02 अक्टूबर, 2020 से 31 जनवरी, 2021 के मध्य जनपदों में ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की कार्यवाही पूर्ण की जाए।

**संलग्नकः यथोक्त।**

भवदीय,

**(मनोज कुमार सिंह)**
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः— तदैव।

**प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—**

1. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टाफ आफिसर, कृषि अत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
5. निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र.।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.।
7. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं.), उ.प्र.।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ.प्र.।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह) 8.9.20
अपर मुख्य सचिव।

Amit Sri.

सुनील कुमार, आई.ए.एस.
SUNIL KUMAR, IAS

सत्यमेव जयते

सचिव
भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

D. O. No. M-11015/159/2019-CB

Dated: 18th August, 2020

Dear Shri Tiwari,

As you are aware, Gram Panchayats (GPs) have been mandated for the preparation of plans for economic development and social justice. It may also be recalled that the Ministry of Panchayati Raj in collaboration with State Governments, Line Departments and other stakeholders rolled out the People's Plan Campaign - ***'Sabki Yojana Sabka Vikas'*** in 2018 and 2019. During both campaigns, structured Gram Sabha meetings were held for preparing Gram Panchayat Development Plans (GPDPs) for the financial years 2019-20 and 2020-21 respectively.

2. In this connection, I would like to congratulate all the State Governments, particularly the Panchayati Raj and Rural Development Departments of States, for successfully completing all the activities of the Campaign right from appointment of Nodal Officers and facilitators at appropriate levels to uploading of final GPDPs in PlanPlus and submission of report by facilitators. Further, during interaction through Video Conference held on 10th August, 2020, it emerged that despite the continuing emergent situation due to COVID 19 pandemic, States/UTs were in favour of continuing the PPC Campaign this year as well to maintain the momentum and to provide sustainability to GPDP formulation.

3. Accordingly, the Ministry has decided to continue the campaign during the current year as well from ***2nd October, 2020 to 31st January, 2021***. A brief roll out plan for preparatory works for GPDP is as under:-

| Sl. | Timelines | Date |
|---|---|---|
| 1. | Roll out of Master Trainers Training | 25th August, 2020 |
| 2. | Appointment of Nodal Officers (State, District & Block levels) and Registration on web portal by all the nodal officers | 05th September, 2020 |
| 3. | Uploading of Gram Sabha meetings schedule | 10th September, 2020 |
| 4. | Pre populating PlanPlus | 30th August, 2020 |
| 5. | Appointment of facilitators for every Gram Panchayats | 10th September, 2020 |
| 6. | Roll out of facilitators training | 18th September, 2020 |
| 7. | Completion of Mission Antyodaya Survey in all GPs | 20th September, 2020 |
| 8. | Appointment of frontline workers of line departments for Gram Sabha meetings | 25th September, 2020 |
| 9. | Display of Public Information Board in every GP and uploading of geo-tagged photographs on the portal | 25th September, 2020 |
| 10. | Uploading Geo-tagged visuals of Gram Sabha meetings | Immediately after conducting GS meeting |
| 11. | Publishing of approved plan on PlanPlus application | 31st January, 2020 |

Contd .2/-

कृषि भवन, डॉ राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली–110001, KRISHI BHAWAN, DR. RAJENDRA PRASAD ROAD, NEW DELHI-110001
Tel.: 011-23389008, 23074309 • Fax: 011-23389028 • E-mail: secy-mopr@nic.in

4. However, due to COVID-19 pandemic it is important that all activities relating to preparation and finalization of GPDP for the year 2021-22 are undertake with full adherence to COVID 19 appropriate behaviour. This would involve, inter alia, maintenance of *'do gaj ki doori'*, covering of face with appropriate face cover or face mask and ensuring strict sanitation and hygiene protocol by participants at meeting venue. This can be facilitated if consultations among members of the Gram Sabha are held in smaller groups. Accordingly, Gram Sabha meetings should be preceded by meetings of *'Bal Sabha'*, *'Mahila Sabha'*, apart from *'Ward Sabha'* to facilitate enumeration and articulation of demands of children and women among others. This would ensure wider participation in the planning process. Outcomes of these meetings could be presented in formal meeting of the Gram Sabha wherein the GPDP would be finalized. This would ensure participatory planning in true sense for formulation of inclusive and holistic GPDPs for overall growth of Panchayats and citizens. Gram Panchayats should also be urged to adopt a resolution and goals for themselves - **Sankalp** and **Lakshya** – especially with regard to Education, Health & Nutrition goals.

5. It may be noted that in exceptional cases, keeping in view the strict timelines of the People's Plan Campaign, the approval of GPDPs may be obtained through meeting of Elected Representatives of respective Gram Panchayats. However, *ex-post-facto* approval of Gram Sabha would need to be obtained as soon as the local conditions permit.

6. I do hope that the experience gained during the last two campaigns would provide the necessary stimulus in implementing this campaign more efficiently and vigorously by all the stakeholders. I shall be grateful if you could kindly provide leadership and guidance to the concerned authorities of your State for the roll out of the People's Plan Campaign – 2020 for formulation of GPDPs for 2021-22 by Gram Panchayats from 2nd October to 31st January, 2021. I would also like to inform you that a Campaign Booklet, as was done during previous versions of PPC, having all the relevant information of the campaign and for providing hand holding support to all Stakeholders shall be shared by the Ministry soon. The State Government may disseminate the same after translating it into their vernacular language among all stakeholders.

With warm regards,

Yours sincerely,

18.8.20

**(Sunil Kumar)**

**Shri Rajender Kumar Tiwari,**
Chief Secretary,
Government Uttar Pradesh,
101, Lok Bhawan, UP Civil Secretariat,
Vidhan Sabha Marg,
Lucknow -226001.

संलग्नक–1

## ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण, वर्ष 2021–22 के नियोजन हेतु उप–गतिविधियों की सूची

| क्र. सं. | चरण | गतिविधियॉ | उप–गतिवधियॉ | उत्तरदायी विभाग / संस्था | समयाविधि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ग्राम सभा से पूर्व जनपद स्तर की तैयारी। | जनपद स्तर पर अभियान संचालन हेतु रणनीति निर्धारण एवं प्रचार। | 1. जनपद स्तर पर वार्षिक कार्ययोजना 2021–22 के निर्माण एवं गतिविधियों के संचालन हेतु जिला कियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन।<br>2. ग्राम सभा के आयोजन का रोस्टर एवं उसमें अधिकारी/ कर्मियों की उपस्थिति की समय–सारिणी निर्गत किया जाना।<br>3. ग्राम पंचायत स्तर पर योजना तैयार किए जाने हेतु सहयोगी/ मानव संसाधन का निर्धारण एवं अभिमुखीकरण। | जिला पंचायत राज अधिकारी / जिला कियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति। | 10 सितम्बर, 2020 से। |
| | | | 4. प्रचार–प्रसार हेतु जनपद पर मीडिया कार्यशाला का आयोजन। | जिला पंचायत राज अधिकारी | 15 सितम्बर से 25 सितम्बर, 2020 तक। |
| 2 | ग्राम सभा आयोजन से पूर्व की तैयारी। | ग्राम पंचायत विकास योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार एवं ग्राम सभा की बैठक का एजेण्डा निर्गत किया जाना | 1. ग्राम पंचायत की बैठक, दीवार–लेखन, बोर्ड/ सूचना –पट्टिका की स्थापना, रैली, वार्ड–वार बैठक, माइकिंग, नुक्कड़ नाटक अथवा अन्य उपायों के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना का प्रचार–प्रसार।<br>2. निर्धारित एजेण्डा प्रारूप (संलग्नक–2) पर ग्राम सभा की बैठक के आयोजन की पूर्व सूचना दिया जाना। | पंचायती राज विभाग<br>ग्राम पंचायत/ पंचायती राज विभाग। | 20 सितम्बर से प्रारम्भ |
| 3 | | मिशन अंत्योदय के एप्लीकेशन पर ग्राम पंचायत का सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण एवं डाटा अपलोड किया जाना। | 1. सर्वेक्षण हेतु फैसीलिटेटर का निर्धारण (एस.एस.जी./ रोजगार सेवक अथवा ग्राम विकास विभाग द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति) एवं उनका प्रशिक्षण।<br>2. सर्वेक्षण कराया जाना एवं डाटा को अंत्योदय एप पर अपलोड किया जाना।<br>3. सर्वेक्षण की रिपोर्ट को ग्राम पंचायत को 02 अक्टूबर, 2018 तक उपलब्ध कराया जाना। | ग्राम्य विकास विभाग। | 01 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2020 तक। |

| क्र. सं. | चरण | गतिविधियाँ | उप–गतिविधियाँ | उत्तरदायी विभाग / संस्था | समयाविधि |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ग्राम सभा की अवधि में किए जाने वाले कार्य | प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की दो बैठकों के आयोजन। | 1. एक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 15 दिवस के अन्तराल पर ग्राम सभा की दो बैठकों का आयोजन। ग्राम सभा की बैठक आयोजन हेतु आवश्यक दस्तावेजो की सूची संलग्नक–3 पर उपलब्ध है। | ग्राम पंचायत | 02 अक्टूबर, 2020 से 31 जनवरी, 2021 तक। |
| 5 | | | 2. ग्राम सभा की बैठकों में विभिन्न विभागों के फ्रंट–लाइन कर्मियों / पंचायत स्तरीय कर्मी की प्रतिभागिता सुनिश्चित् करना एवं उनके माध्यम से विभागीय योजना की जानकारी ग्राम सभा को देना। | समस्त विभाग द्वारा। | |
| 6 | | | 3. ग्राम सभा का कार्यवृत्त लिखा जाना एवं बैठक की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जाना। | ग्राम पंचायत | |
| 7 | | | 4. ग्राम पंचायत विकास योजना का अंतिम दस्तावेज (जी.पी.डी.पी. के दस्तावेज को तैयार करने हेतु आवश्यक विवरण की अनुकमणिका–संलग्नक–4) तैयार करना एवं सभी उपस्थिति दर्ज करना। | | |
| 8 | | | 5. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट www.gpdp.nic.in पर रिपोर्टिंग का कार्य (रिपोर्टिंग प्रारूप संलग्नक–5)। | | |
| 9 | ग्राम सभा के पश्चात् के कार्य | ग्राम पंचायत विकास योजना प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण एवं रिपोर्टिंग। | 1. ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थल पर जी.पी.डी.पी. एवं अन्य योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु सूचना–पट्टिका / बोर्ड लगाया जाना। | ग्राम पंचायत | दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | 2. ग्राम पंचायत विकास योजना का अंतिम दस्तावेज का प्रिंट आउट लेकर एक प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय में सुनिश्चित् रखना। | | 02 अक्टूबर, 2020 से 31 जनवरी, 2021 के मध्य। |
| 12 | | | 3. ग्राम पंचायत विकास योजना में लिए गए कार्यो एवं गत वर्षो में कराए गए कार्यो को बोर्ड / फ्लैक्स / वॉल–राइटिंग के माध्यम से सामुदायिक स्थल पर अंकित किया जाएगा। | | |

# जी.पी.डी.पी. के लिए विशेष ग्राम सभा के आयोजन का एजेण्डा

"हमारी योजना हमारा विकास"

| |
|---|
| बैठक की तिथि ..... |
| बैठक का स्थान..... |

ग्राम पंचायत का नाम..... एल.जी.डी. कोड.....

विकासखण्ड का नाम..... जिला..... राज्य.....

- एजेंडा : वार्षिक कार्ययोजना (वित्तीय वर्ष 2021–22) तैयार किया जाना।
- मीटिंग में सदस्यों, प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति।
- एजेण्डा बिन्दु।
  1. ग्राम पंचायतों के सरपंच/प्रधान ग्राम सभा की बैठक का उद्देश्य बताएगे।
  2. ग्राम पंचायत सचिव जी.पी.डी.पी. के उद्देश्य एवं परिकल्पना पर चर्चा करेंगें।
  3. सुविधादातायों द्वारा मिशन अत्योदय के अंतर्गत एकत्रित रैंकिग पैरामीटर और डाटा की प्रस्तुति और सत्यापन किया जाना।
  4. ग्राम सभा के समक्ष स्वयं सहायता समूहों/ग्राम आधारित संस्थाओं द्वारा गरीबी से संबंधित मुद्दों और गरीबी उन्मूलन की कार्ययोजना संबंधित प्रस्तुतीकरण करना।
  5. मिषन अन्तयोदय में सर्वे के दौरान प्राप्त कमियों पर ग्राम सभा में चर्चा करना तथा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तीन वर्गों जैसे अतिआवष्यक, आवष्यक, वांछित में बांटा जाना।
  6. संबंधित विभागों के कर्मचारियों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243Gकी 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों में से ग्राम पंचायत में समायोजित विषयों पर प्रस्तुतीकरण करना।

**संविधान के अनुच्छेद 243G के अनुसार 29 विषयों की सूची।**

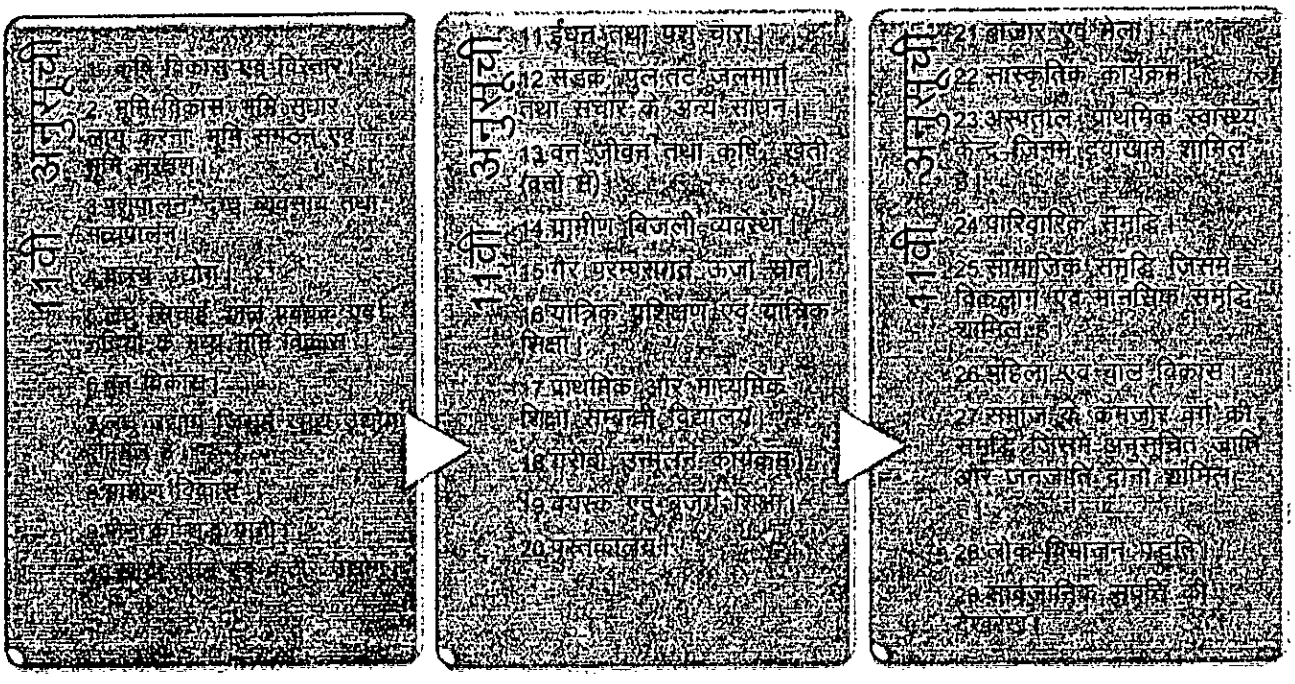

7. वर्तमान वर्ष की गतिविधियों और फंड उपयोग की समीक्षा।
8. वित्तीय वर्ष 2021–22 में ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों पर चर्चा।
9. ग्राम सभा में कमियों (GAP) के कारणों पर चर्चा कर सकती है और कमियों को दूर करने हेतु गतिविधियों का प्रस्ताव दे सकती है।
10. ग्राम पंचायत में पायी गयी कमियों के आधार पर ग्राम सभा गतिविधियों की प्राथमिकता तय करते हुए उन्हें जी.पी.डी.पी. में सम्मिलित कर सकती है जैसे की संपत्ति का निर्माण एवं रख–रखाव, कम लागत/बिना लागत (उदाहरण–समुदाय को 100 प्रतिशत टीकाकरण के लिए प्रेरित करना, स्कूलों में 100 प्रतिशत नामांकन, ओ.डी.एफ./ओ.डी. एफ. प्लस, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक विषयों पर जागरूकता आदि)।
11. पंचायत की कमियों का विष्लेषण एवं प्राथमिकता निर्धारित करने के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा जी.पी.डी.पी. में सम्मिलित करने वाली गतिविधियों को अंतिम रूप देना।
12. बुनियादी नागरिक सेवायें प्रदान करने संबंधी गतिविधियाँ जैसे कि जल आपूर्ति, स्वच्छता प्रबंधन, सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा, जल निकासी, सामुदायिक संपत्तियों का रख रखाव, सड़कों का रख–रखाव, फुटपाथ, सड़क प्रकाश व्यवस्था, अन्त्येष्टि स्थल और शमशान भूमि की योजना 15वें वित की धनराशि से की जाएगी।
13. ग्राम सभा विकास संबंधी गतिविधियों की प्राथमिकता सूची पर एक प्रस्ताव पारित करेगी। यह प्रस्ताव ग्रामसभा के सामने पढ़ा जायेगा और तद्नुसार दस्तावेजीकरण किया जायेगा।
14. gpdp.nic.in पर ग्राम सभा की जियोटैग फोटो अपलोड किये जायेगें
15. सार्वजनिक सूचना बोर्ड के फोटो भी जियोटैग किये जायेगें।

## जी.पी.डी.पी. के लिए विशेष ग्राम सभा के दौरान ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारी एवं संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति विवरण का प्रारूप

### "हमारी योजना हमारा विकास"

**विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा किये जाने वाले प्रस्तुतीकरण हेतु चर्चा के बिन्दुः–**

1. विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा अपने विभाग की योजना का संक्षिप्त परिचय देते हुए योजना अन्तर्गत लाभर्थियों के चयन की प्रक्रिया, पात्रता एवं लाभ के विषय में विस्तार से बताया जाएगा, साथ ही योजना में ग्राम पंचायत की भूमिका एवं जी.पी.डी.पी. में समावेश करने की आवश्यकता को भी प्रस्तुत करेंगें।

| क्र.सं. | योजना का नाम | योजनान्तर्गत अनुमोदित गतिविधियॉं | लाभार्थी चयन हेतु पात्रता के मापदंड | योजना के लाभ/ मिलने वाले अधिकार |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2. वर्ष 2020–21 में ली गयी गतिविधियॉं एवं प्रगति समय–सीमा–

| क्र. सं. | गतिविधि का नाम | लाभार्थियों की सूची | गतिविधिवार प्रगति | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्रगति | | | समय–सीमा | | व्यय धनराशि का विवरण | |
| | | | गतिविधि पूर्ण | प्रक्रियाधीन | अभी प्रारम्भ नहीं | निर्धारित समय–सीमा | वास्तविक समय–सीमा | प्राविधानित | व्यय |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

3. वर्ष 2021–22 में ली गयी गतिविधियों का विवरण–

| क्र.सं. | गत् वर्ष की प्रस्तावित गतिविधियॉं | नयी प्रस्तावित गतिविधियॉं | प्रस्तावित कार्यवाही योजना |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

4. प्रारूप की एक प्रति विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा ग्रामपंचायत को ग्राम सभा की बैठक के दौरान सौंप दी जायेगी।

संलग्नक–3

## ग्राम सभा की बैठक आयोजन हेतु आवश्यक सम्भावित दस्तावेजो की सूची

1. ग्राम सभा बैठक आयोजन का एजेण्डा।
2. ग्राम पंचायत में जन्म एवं मृत्यु का विवरण।
3. ग्राम पंचायत का पारिस्थितिकी विश्लेषण/ ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्राप्त सामाजिक–आर्थिक विश्लेषण की रिपोर्ट।
4. वित्तीय वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना/ जी.पी.डी.पी. का विवरण।
5. ग्राम पंचायत द्वारा विगत वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि एवं कराए गए कार्यो का विवरण।
6. ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों (रिसोर्स एनवलप) का विवरण (मानव संसाधन/ग्राम निधि/ स्वयं की आय/स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त धनराशि/सी.एस.आर./विधायक निधि/सांसद निधि अथवा अन्य किसी योजना से प्राप्त धनराशि)।
7. ग्राम पंचायतों में कराए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यो के सम्बंध में शासन द्वारा निर्गत महत्वपूर्ण निर्देशों की प्रति।

संलग्नक–4

## ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किए जाने का प्रारूप/ दस्तावेज में सम्मिलित होने वाले विभिन्न आवश्यक विषय

1. अनुक्रमणिका
2. प्रस्तावना (ग्राम पंचायत विकास योजना की आवश्यकता एवं ग्राम पंचायत द्वारा किए गए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण)
3. ग्राम पंचायत का संक्षिप्त परिचय (ग्राम पंचायत की पृष्ठभूमि, ग्राम पंचायत की प्रोफाइल, संरचनात्मक एवं भौतिक उपलब्धियों का विवरण–(प्रोफाइल का प्रारूप विभागीय वेबसाइट के शासनादेश सं0 2618/सी.एस./33–3–2015, दिनांक 29 सितम्बर, 2015 में उपलब्ध है।) ग्राम पंचायत का विजन स्टेटमेंट (ग्राम पंचायत की सोच एवं सामाज के प्रति दृष्टिकोण)
4. ग्राम पंचायत का पारिस्थितिकी विश्लेषण/ ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्राप्त सामाजिक–आर्थिक विश्लेषण की रिपोर्ट।
5. बैठक का कार्यवृत्त एवं प्रतिभागियों की सूची।
6. ग्राम पंचायत विकास योजना/ वार्षिक कार्ययोजना में प्राथमिकता में लिए गए कार्यो का विवरण (कार्यो के विवरण में कार्यो में आने वाला व्यय, आय का स्त्रोत, निर्मित परिसम्पत्ति का विवरण, कम–लागत/ बिना–लागत के कार्यो का विवरण, क्षेत्रवार विवरण भी आवश्यक रूप से सम्मिलित रहेगा।(प्रारूप सम्बंधी विवरण विभागीय वेबसाइट के शासनादेश सं0 2618/सी.एस./33–3–2015, दिनांक 29 सितम्बर, 2015 में उपलब्ध है।)
7. कार्यवार विवरण के साथ आपेक्षित परिणामों को भी ग्राम पंचायत विकास योजना का भाग बनाया जाना चाहिए।
8. सहभागी नियोजन हेतु किए गए मानचित्रीकरण अथवा अन्य पी.आर.ए. गतिविधियों की प्रति।
9. ग्राम सभा की बैठक की फोटोग्राफ की प्रतियॉ।

संलग्नक–5

## जनपद द्वारा नामित स्वयं सहायता समूह/टास्क फोर्स/अन्य सदस्य का रिपोर्टिंग प्रारूप

| क्र.सं. | कार्यक्षेत्र | टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1 | ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या | |
| 2 | ग्राम सभा में उपस्थित अनुसूचित जाति सदस्यों की संख्या | |
| 3 | ग्राम सभा में उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या | |
| 4 | ग्राम सभा में उपस्थित स्वयं सहायता समूह सदस्यों की संख्या | |
| 5 | ग्राम सभा में उपस्थित महिलायों की संख्या | |
| 6 | विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग एवं प्रस्तुतीकरण किया जाना | |
| 6.1 | पंचायती राज विभाग | |
| 6.2 | ग्राम्य विकास विभाग | |
| 6.3 | कृषि विभाग | |
| 6.4 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | |
| 6.5 | महिला एवं बाल कल्याण विभाग | |
| 6.6 | उर्जा विभाग | |
| 6.7 | रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग | |
| 6.8 | पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन विभाग<br>(अन्य) | |
| 7 | मिशन अन्तोदय अन्तर्गत एकत्रित डेटा की प्रस्तुति एवं पुष्टि | |
| 8 | स्वयं सहायता समूह द्वारा गरीबी संबंधित मुद्दों एवं गरीबी उन्मूलन की योजना का प्रस्तुतीकरण | |
| 9 | जी0पी0डी0पी0 पर विचार–विमर्श | |
| 9.1 | वर्तमान वर्ष में हुई गतिविधियां एवं बजट के उपयोग की समीक्षा | |
| 9.2 | ग्राम पंचायत को वर्ष 2021–2022 के में सम्भवतः उपलब्ध होने वाले संसाधनों पर चर्चा | |
| 8.3 | मिशन अन्तोदय सर्वेक्षण के दौरान पायी गयी कमियों एवं उन्हें कम करने हेतु प्रस्तावित हस्तक्षेपों पर चर्चा | |
| 8.4 | जी0पी0डी0पी0 पर पारित संकल्प का ग्राम सभा द्वारा दर्ज किया जाना | |
| 9 | प्रगति में ग्राम सभा की फोटो को जियोटैग करना | |
| 10 | सार्वजनिक सूचना बोर्ड की फोटो को जियोटैग करना | |

नोटः– संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति/अनुपस्थिति टिप्पणी में दर्ज की जायेगी।